न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष रामारिया, IAS जिला कलक्टर, कोटा
प्रकरण संख्या 05/2025

श्री शहजाद अली अंसारी (बबलू भाई) पुत्र श्री ओसाफ अली अंसारी
निवासी 279–बी, वक्फ नगर, कोटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 02.07.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री शहजाद अली अंसारी (बबलू भाई) पुत्र श्री ओसाफ अली अंसारी निवासी 279–बी, वक्फ नगर, कोटा ने दिनांक 17.04.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन जरिये डाक प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई –

1. जिला कलक्टर की जनसुनवाई दिनांक 17.4.2025 को नदीम अख्तर पुत्र सईद अख्तर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाये गये । प्रार्थना पत्र सहित दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाये ।
2. नदीम अख्तर के विरूद्व मेरे द्वारा मेन डामर रोड पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी लेकिन अभी तक नदीम अख्तर का अतिक्रमण नहीं तोडा गया है । इसका कारण स्पष्ट कर पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये ।
3. नपदीम अख्तर का प्लॉट 550 वर्गफीट का है लेकिन बना 1200 वर्गफीट में रखा है बाकी की जमीन के क्या क्या दस्तावेज लगाये गये । पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये ।
4. नदीम अख्तर के जनसुनवाई दिनांक 17.4.2025 रसीद संख्या 13030 पर क्या कार्यवाही की गई और उसे किस अधिकारी को प्रेषित किया गया उसका नाम पदनाम मोबाईल नं0 उपलब्ध करवाया जाये ।
5. नदीम अख्तर द्वारा डामर रोड पर किया गया अतिक्रमण कब तोडना प्रस्तावित किया गया है जबकि उसे 17.3.2025 को कमांक/रीडर/36 नोटिस जारी किया हुआ है और उसकी 44.25 को अवधि भी समाप्त हो चुकी है । इस संबंध में विस्तृत पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये ।
6. अतिकमी को हटाने के लिये संबंधित विभागों के किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा काम किया जा रहा है, उनका नाम पदनाम, मोबाईल नं0 की पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये ।

उक्त सूचना नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.06.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक/रीडर/डीएम/2025/182 दिनांक 19.6.2025 से लिखा गया तथा अपीलार्थी को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्रांक/183 दिनांक 19.6.2025 से लिखा गया किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/प्रथम अपील/प–62/2025/212 दिनांक 24.6.2025 से प्रकरण में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन में वांछित सूचना का संबंध सतर्कता अनुभाग से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को पत्र लिखा गया । सतर्कता अनुभाग से सूचना 4 पृष्ठों में प्राप्त होने के पश्चात अनुभाग के पत्रांक/146 दिनांक 14.5.2025 से आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी गई है । चूंकि आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जावें ।

हमने प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2025 का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं पत्रादि का अवलोकन किया जिससे जाहिर हो रहा है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सतर्कता अनुभाग से सम्बन्धित होकर वांछित सूचना प्रार्थी को 04 पृष्ठ में वांछित राशि जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु पत्रांक/146 दिनांक 14.5.2025 से हेतु लिखा जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 16.5.2025 को सूचना प्राप्त कर ली गई है । इस प्रकार आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करादी जाने से लोक सूचना अधिकारी स्तर पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रस्तुत अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 2.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा